

बिहार सरकार
गृह (विशेष) विभाग

आदेश

बिहार वित्त नियमावली के नियम-110 के प्रावधानों के आलोक में जे० पी० सेनानी सम्मान योजना अन्तर्गत जे० पी० सेनानियों के पेंशन भुगतान, जे० पी० सेनानी सम्मान योजना के तहत गठित जे० पी० कोषांग एवं सलाहकार पर्सद के अध्यक्ष/सदस्य/सचिव/पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनादि/मानदेय/वाहन के ईंधन/कार्यालय व्यय/दूरभाष आदि मदों में भुगतान संबंधी प्रत्येक माह स्वीकृत्यादेश निर्गत करने तथा इससे संबंधित विपत्रादि पारित करने हेतु प्रधान सचिव के अनुमोदनोपरान्त प्रभारी, उप सचिव, गृह (विशेष) विभाग को प्राधिकृत किया जाता है।

1. उपर्युक्त स्वीकृत्योदश निर्गत करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. यह आदेश अगले आदेश तक के लिए प्रभावी रहेगा।
3. इस संबंध में पूर्व के सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

ह०/-

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-..... पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-..... 177 पटना, दिनांक..... 24/03/2015

प्रतिलिपि-विशेष सचिव-11, गृह (विशेष) विभाग/सचिव, सलाहकार पर्सद, जे० पी० सेनानी सम्मान योजना, कार्यालय ऑफिसर फ्लैट नं०-2/12, शास्त्री नगर, पटना-23/उप सचिव, प्रभारी, जे०पी० कोषांग, गृह विशेष विभाग/अवर सचिव, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, लेखा शाखा (दो प्रतियों में), गृह (विशेष) विभाग तथा अवर सचिव, स्थापना, गृह विशेष विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.3.15

सरकार के प्रधान सचिव

I.T. मेजर

23.3.15

S.O.M.